



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1311/JH/11/2023-APCR

दिनांक : 20.08.2024

सेवा मे,

श्री चंदन कुमार सिन्हा  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला - रांची,  
एसएसपी कार्यालय,  
जिला-रांची, झारखंड- 834001  
Email Id: [ssp-ranchi@jhpolic.gov.in](mailto:ssp-ranchi@jhpolic.gov.in)

विषय: SC/ST अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज होने के बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में श्री कुलदीप मुंडा का अभ्यावेदन।  
संदर्भ: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.07.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड) में दिनांक 27.08.2024 को 02:20 P.M. बजे सिटिंग निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

 भवदीय

(एच.आर. मीणा/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : [hari.rammeena@ncst.nic.in](mailto:hari.rammeena@ncst.nic.in)

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थः

श्री कुलदीप मुण्डा  
ग्राम- बदरगाई  
थाना -सदर  
जिला -राँची, (झारखण्ड)  
मोबाइल नंबर: 7766832435